

## प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 01.05.2021

### बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर मे कोरोना पीडित को भर्ती कराने के नाम पर रिश्वत लेने वाला कर्मचारी मय रिश्वत के गिरफ्तार

दिनांक 30.04.2021 को वादी दिलीप कुमार सिंह पुत्र रामसिंह निवासी रामपुर खुर्द थाना गुलरिहा गोरखपुर द्वारा अपनी कोरोना पीडित मां को बीआरडी मेडिकल कालेज मे भर्ती कराने का प्रयास किया जा रहा था कोरोना वार्ड के सामने वार्ड ब्वाय प्रदीप चौहान पुत्र रामु चौहान निवासी जंगल छत्रधारी टोला मीरगंज थाना पिपराईच गोरखपुर तथा सिक्थोरिटी गार्ड राहुल सिंह उर्फ गोलु सिंह द्वारा अस्पताल प्रशासन से सेटिंग कर भर्ती कराने के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गयी तथा वादी से 2 हजार रुपये एडवान्स भी ले लिया गया व शेष पैसों की मांग भी की जाने लगी तथा पीडिता को रिश्वत लेने के बाद भी भर्ती नहीं कराया गया जिसके सम्बन्ध मे वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/21 धारा 419,420,406, 188 भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 56/58 आपदा प्रबन्धन अधिनियम बनाम 1. वार्ड ब्वाय प्रदीप चौहान पुत्र रामु चौहान निवासी जंगल छत्रधारी टोला मीरगंज थाना पिपराईच गोरखपुर 2- सिक्थोरिटी गार्ड राहुल सिंह उर्फ भोलु निवासी अज्ञात पंजीकृत हुआ था जिसके सम्बन्ध मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये थे ।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर** के आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा द्वारा आज दिनांक 01.05.2021 को काफी प्रयास के बाद नामित अभियुक्त 1. वार्ड ब्वाय बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर प्रदीप चौहान पुत्र रामु चौहान निवासी जंगल छत्रधारी टोला मीरगंज थाना पिपराईच गोरखपुर मय रिश्वत 2 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया । दुसरा नामित अभियुक्त सिक्थोरिटी गार्ड राहुल सिंह उर्फ भोलु मौके से फरार हो गया ।

#### **गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

प्रदीप चौहान पुत्र रामु चौहान वार्ड ब्वाय बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर स्थाई निवासी जंगल छत्रधारी टोला मीरगंज थाना पिपराईच गोरखपुर

#### **गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-**

बीआरडी मेडिकल कालेज गेट दिनांक 01.05.2021

#### **अभियुक्त के पास से बरामदगी का विवरण**

रिश्वत के दो हजार रुपये

## फरार अभियुक्त

सिक्क्योरिटी गार्ड राहुल सिंह उर्फ भोलु पता अज्ञात

## अभियुक्त को जिन मुकदमे में गिरफ्तार किया गया का विवरण:-

मु0अ0सं0 196/21 धारा/2021 धारा 419,420,406, 188 भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 56/58 आपदा प्रबन्धन अधिनियम

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम/पद

1. प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुरा
2. नि0 रामभवन यादव प्र0 क्राइम थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुरा
3. उ0नि0 गौरव राय कन्नौजिया चौकी मेडिकल कालेज थाना गुलरिहा गोरखपुर
4. का0 अजय प्रताप चौधरी
5. का0 आजाद अली
6. का0 दीपनारायण खरवार
7. का0 राहुल कुमार